**78. विक्रय किये गये माल का न परिदान करने नुकसानी के लिए वाद।**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है -**

1. तारीख .................. को वादी एवं प्रतिवादी ने परस्पर यह करार किया कि प्रतिवादी को तारीख .................. को वादी को (.................. बैरल आटा) देना चाहिए और प्रतिवादी को परिदान पर ............. रुपये उसके लिए देना चाहिए।
2. (कथित) दिन को वादी तैयार एवं इच्छा कर रहा था, और माल के परिदान पर कथित रकम प्रतिवादी को संदाय करने का प्रस्ताव किया।
3. प्रतिवादी ने माल का परिदान नहीं किया है और वादी को उन प्रसुविधाओं से वंचित किया जा चुका है जो ऐसे परिदान से उसको प्रोद्भूत होगा।
4. ऊपर यथा वर्णित प्रसुविधाओं का निर्धारण ............. रुपये प्रति बैरल की दर से रुपये का होना निर्धारित किया जाता है।
5. वादी ने प्रतिवादी द्वारा कारित हुई उपर्युक्त नुकसानियों का संदाय करने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जो तारीख.................. को उसके द्वारा प्राप्त की गयी लेकिन प्रतिवादी ने आज तक वादी की नोटिस का उत्तर नहीं दिया।
6. वाद हेतुक तारीख ............... को पैदा हुआ जब प्रतिवादी ने वादी से मांग की नोटिस प्राप्त किया, और अन्तिम रूप से उस समय तक वाद को दाखिल करने की तारीख .................. को जब प्रतिवादी ने न तो नोटिस का पालन किया और न ही इसका उत्तर दिया। इस न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की अधिकारिता है।
7. वाद का मूल्याकंन उपर्युक्त नुकसानियों की रकम.................. रुपये पर किया जाता है और न्यायालय फीस का उस पर संदाय किया जाता है।

.

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी